न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—326/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/326)

1. रामकिशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी
2. रूपश्यामकिशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी
3. शिवरतन किशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी
4. ललित किशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 68/2019

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—19.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 68/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थी ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। राजस्थान सरकार की आरे से जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2024 को वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 68/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2839, 2841 जो ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद में स्थित है जिस पर वादीगण पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मौके पर आज भी वादीगण का कब्जा व आधिपत्य है तथा वादीगण की नियमनशुदा भूमि है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2024 को खारिज कर दिया गया की जानकारी पक्षकार द्वारा दिनांक 08.12.2024 को अपने अधिवक्ता से संपर्क करने अधिवक्ता द्वारा बताने पर अपील की सलाह प्राप्त कर निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 10.12.2024 को प्राप्त कर अविलंब प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge***.**

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 केवल इस आधार पर पारित किया गया कि भूमि का नियमन नहीं किया गया था

तथा भूमि सिवायचक है जबकि राजस्व रेकार्ड में वर्षों से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो नियमानुसार खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर खातेदारी दस्तावेजी की अनदेखी की अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित किया गया। दावाकृत भूमि में किसी प्रकार से साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराए गए और ना ही साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया केवल मात्र सिवायचक भूमि के आधार पर अपीलांटगण की पुश्तैनी नियमनशुदा भूमि के महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की गई जो निरस्त किए जाने योग्य है। मौके पर अपीलार्थीगण/प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य है एवं अपीलार्थी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन होने से अपीलार्थी के पक्ष में निहित होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2024 को निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 68/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी मुतनाजा आरंभ से ही व वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वादीगण उक्त आराजी पर अपना कब्जा मानते है तो नियमानुसार नियमन की कार्यवाही करनी चाहिए। अतः वाद सव्यय खाारिज योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए उक्त प्रकरण को दिनांक 05.08.2024 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है व उक्त भूमि अपीलांट की पुश्तैनी आराजीयात की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पूर्ण रूप से जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था तथा प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की उक्त आराजीयात का पुश्तैनी होना सिद्ध हो सके क्यों कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से विद्यमान है। अपीलांट को इस बाबत तहसीलदार नसीराबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.01.1993 के तहत अतिक्रमी माना गया है तथा उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की नियत से अपीलांट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत अपीलांट को दोषी भी पाया गया है तथा उक्त आराजीयात से अपीलांट को बेदखली की कार्यवाही भी पूर्व में अमल में लाई जा चुकी है। चूंकि उक्त आराजीयात वर्किंग जमाबंदी व हाल

राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है उक्त आराजी कभी भी अपीलांट के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है। अपीलांट का उक्त भूमि बाबत कब्जा मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से ही है। अपीलांट उक्त भूमि पर अपना निरंतर कब्जा काश्त साबित कर पाने में विफल रहे है। अपीलांट व उनके पूर्वजों का संवत 2012 से पूर्व का कोई निर्बाध कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होता है। अपीलांट उक्त आराजीयात को पुश्तैनी सिद्ध कर पाने में विफल रहे है तथा अपीलांट का उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा काश्त भी सिद्ध नहीं होता है। अपीलांट को उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। *राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया–:*

2016(2)आर0आर0टी0791
राजस्थान हाईकोर्ट
Khatedari rights cannot be conferred on the basis of adverse possession.

उपरोक्त न्यायिक नजीर तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है, व उक्त निर्णय में उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 68/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर